न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07 / 24 वाद GCMS NO : 2023/00088
पूर्व प्रकरण संख्या : 111 / 2018

1. शिवलाल पिता मोतीलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. मोहनलाल पिता मोतीलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती कमला पुत्री मोतीलाल जी डांगी पत्नी श्री बाबुलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, हाल निवासी बेमाला तहसील मावली जिला उदयपुर
4. श्रीमती हमेरीबाई पत्नी मोतीलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

मोडिराम पिता उदयलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक :

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की मौरूसी कृषि भूमि राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा में स्थित है जिसके आराजी संख्या 2650 / 1728 मीन रकबा 0.0108 हैक्टयर है जो आराजी संख्या 1728, 1729 के विभाजन से बनी हुई है। प्रार्थना पत्र में अंकित सजरे के अनुसार मूल पुरूष नन्दा जी डांगी थे, जिनके एक पुत्र गांगा जी हुए। गांगा जी के 5 पुत्र हुए जिनमें से एक पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested

मोतीलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान में शिवलाल, मोहनलाल व कमला है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी कृषि भूमि है जो उनके दादाजी से प्राप्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता भू माफिया के बहकावे में आकर उक्त भूमि को विक्रय करना चाहते थे जिस पर उन्हे रोकने हेतु माननीय न्यायलय में वाद 289 / 2017 दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायलय द्वारा दिनांक 09.01.2015 को प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा फरमाई गई। विपक्षी, प्रार्थीगण के परिवार का सदस्य है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के पिता मोतीलाल के व्यसन की आदतों का फायदा उठाते हुए गलत तरीके से वादग्रस्त भूमि का दान पत्र प्रार्थीगण के पिता से दिनांक 28.03.2014 को अपने नाम करवा लिया व दान पत्र के आधार पर उकत भूमि अपने नाम करवा ली, जो फर्जी होकर प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। अब विपक्षी उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है तथा उक्त भूमि अन्य लोगों को विक्रय कर देगा। अतः निवेदन है कि विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करे, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से विपक्षी के जवाब अवसर बंद किए जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

विद्वान वादी अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः** – उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी का है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी कृषि भूमि है, जो प्रार्थीगण के दादाजी से उनको प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों के माध्यम से स्पष्ट पक्षकारों के मध्य विवाद का स्पष्ट अंकन को उल्लेखित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है [illegible]स्त आराजीयात मौरूसी सम्पति किस प्रकार है। वर्तमान [illegible] खातेदार है। रेकार्डेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Devi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है, तथा उपभयपक्ष के मध्य घोषणा का वाद वर्तमान में विचारधीन है। प्रार्थीगण का विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

2. **अपूरणीय क्षतिः**— किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना साबित करना होता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है। प्रथम दृष्ट्या मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी अपने हक अधिकारों से वंचित रह जाएगा। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होती है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** :— किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

हमने विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विपक्षी खातेदार होने से विपक्षी के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा — उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested